



उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19 C, विधानसभा मार्ग, लखनऊ-226001

दूरभाष: 0522-2235752, फैक्स: 0522-2235806

वेब: www.uppbpb.gov.in, www.prpb.gov.in

सूचना / विज्ञाप्ति

आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 में से आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु चालन दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना

संख्या:पीआरपीबी:चार—12 (36) / 2024

दिनांक:नवम्बर 20, 2024

आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 में से आरक्षी चालक के 9212 पदों पर चयन हेतु कार्यवाही बोर्ड स्तर पर प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार पात्र 252 कार्मिकों से बोर्ड के समक्ष चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चालन दक्षता परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी। बोर्ड द्वारा चालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के अनुसार जारी की जायेगी।

2— पात्र अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित निम्नवत चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है:—

चालन दक्षता परीक्षा का मापदण्डः—

चालन दक्षता परीक्षा 03 भागों में करायी जायेगी।

(1) गैराजिंग टेस्टः—

ड्राइविंग दक्षता (Driving Skill) के परीक्षण के सम्बन्ध में जो अभ्यर्थी गैराजिंग करते समय गैराज की प्रतीकात्मक दीवारों/सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं अथवा गैराजिंग के चिन्हों को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हुए गैराजिंग करते हैं, उन्हें ड्राइविंग के लिए उपयुक्त (Fit) माना जायेगा। जो अभ्यर्थी गैराजिंग करते समय गैराज की प्रतीकात्मक दीवारों/सीमाओं पर वाहन चढ़ा देते हैं या उसे स्पर्श (Touch) कर देते हैं अथवा गैराजिंग के चिन्हों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उन्हें ड्राइविंग के लिए दक्ष नहीं माना जायेगा। ऐसे अकुशल (Unskilled) अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट में अनुपयुक्त (Unfit) घोषित किया जायेगा और वे आरक्षी चालक की चयन परीक्षा से बाहर माने जायेंगे। साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

(2) रोड ड्राइविंग टेस्टः—

गैराजिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों से सड़क पर यातायात नियमों का पालन करते हुए निर्धारित गति एवं यातायात संकेतों के अनुसार वाहन चलावाया जायेगा। सही एवं सुरक्षित ढंग से वाहन चलाते हुए सफल पाये गये अभ्यर्थियों को योग्य तथा इसके विपरीत पाये जाने पर, उन्हें अयोग्य माना जायेगा।

(3) समानान्तर पार्किंग टेस्ट:-(Parallel Parking Test)

गैराजिंग टेरस्ट एवं रोड ड्राइविंग टेरस्ट में सफल पाये गये अभ्यर्थियों का समानान्तर पार्किंग टेस्ट लिया जायेगा। समानान्तर पार्किंग दो हल्के गाड़ियों के बीच 15 फीट की दूरी के मध्य गाड़ी पार्क करना होगा तथा गाड़ी पार्क करते समय अभ्यर्थी पीछे नहीं देखेंगे।

3— आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु पात्र 252 अभ्यर्थियों की चालन दक्षता परीक्षा दिनांक 16-12-2024 से दिनांक 20-12-2024 के मध्य राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), नूरनगर भद्रसा, तहसील सरोजनीनगर, परगना बिजनौर, उ0प्र0, लखनऊ-226002 के ग्राउण्ड पर सम्पन्न करायी जानी है। अभ्यर्थियों को चालन दक्षता परीक्षा की तिथि व समय के सम्बन्ध में सूचना प्रवेशपत्र के माध्यम से अलग से उपलब्ध करायी गयी है।

चालन दक्षता परीक्षण स्थल पर पहुंचने में विलम्ब न हो इसके लिए अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश-पत्र में परीक्षा हेतु नियत तिथि को प्रातः 08:00 बजे परीक्षण स्थल पर अपनी आमद परीक्षा हेतु कराना आवश्यक है।

4— यह भी अवगत कराना है कि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान में सामान्यतः कोई बदलाव नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है, तो वह इसके वास्तविक व विश्वसनीय कारणों का उल्लेख करते हुए इस हेतु गठित चयन समिति को, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने जनपद/वाहिनी/इकाई के नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। चयन समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है, तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। चालन दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में बोर्ड में प्रेषित किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5— उक्त चालन दक्षता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर दिये गये हैं। सम्बन्धित कर्मी अपने प्रवेशपत्र अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त कर लें।

नोट:—उक्त सूचना बोर्ड द्वारा मात्र अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा हेतु चालन दक्षता परीक्षा के पूर्वाभ्यास हेतु दी जा रही है। इस सूचना का अन्यत्र किसी प्रकार के प्रयोग हेतु बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

28.11.2024
अपर सचिव (प्रोन्ति),
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोर्ड,
लखनऊ ।